



64

दिल्ली विकास प्राधिकरण
DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

मुख्य योजना -2021 की समीक्षा
Master Plan Review-2021

(Representation given
directly to Moderator)

पंजीकरण फार्म
REGISTRATION FORM

“ओपन हाउस मीट्स”
“OPEN HOUSE MEETS”

Zone - F

फार्म प्रतिभागी द्वारा भरा जाए
Form to be filled by Participant

नाम Name	COL. DEVENDER SEHRAWAT
प्रतिनिधि : Representing : सरकारी विभाग / फेडरेशन / संघ (एसोसिएशन) / आर डब्लू ए / व्यक्तिगत Government Department/ Federation/Association/RWA/ Individual	DELHI GRAMEEN SAMAJ
वर्तमान स्थिति Present Position	REPRESENTATIVE
फोन : कार्यालय Phone : Office आवास Residence मोबाइल Mobile	9811699588 OFFICE OF THE DIR (P.O.) M.P.R.T.C, D.D.A.N, DELHI-2 Dy.No. 2784 Dated 11/5
फैक्स : Fax :	
ई-मेल E-mail	
पता : Address :	I, Vasantkunj Road, Mahuliapur
हस्ताक्षर : Signature :	<i>Devender</i>
तिथि : Date :	8th May 2012

“अपने पंजीकरण फार्म ओपन हाउस मीट्स के स्थल पर जमा कराएं
“Submit your registration form at the venue of Open House meets.”



दिल्ली ग्रामीण समाज
Delhi Grameen Samaj
(Rural Federation of Delhi) EST : Feb 1975

Add.: 16, NORTH END
COMPLEX RAMAKRISHNA
ASHRAM MARG
NEW DELHI - 110001
(INDIA)
Phone : 23364957
9313710040

Ch. Prem Singh, MLA
Patron

Ex. DPCC President
Ex. Speaker of Delhi Vidhan Sabha
Ex. Minister of Development

RAVI DUTT
PRESIDENT

UNESCO Awardee, Rural Leader
Participant Quit India Movement 1942

Col (Retd.) R.S. Balhara
General Secretary



Ref. No.

Date 08 May 12

सदा से भारतवर्ष के गांव भाईचारे और सद्भावना की परम्परा के संगम रहे हैं। सभी धर्म, जाति और वर्ग के लोग गांवों में खुशहाली की जीवन व्यतीत करते आये हैं। ग्रामीणों ने सदा समाज के विकास तथा राष्ट्र निर्माण में भरपूर योगदान दिया है परन्तु स्वतंत्र राष्ट्र में गांव पतन की राह पर हैं। यह स्थिति सरकारों द्वारा गांवों को लगातार नजरअंदाज करने की नीति से उत्पन्न हुई है।

- दिल्ली के मास्टर प्लान में ग्रामीण विकास के लिए व्यापक योजना बनाई जाय तथा ग्रामीण विकास योजना को शामिल किया जाए।
- विस्तारित लाल डोरा तथा अनाधिकृत कालोनियों में रिहायशी आवास तथा दुकानों आदि के निर्माण के अधिकार के साथ छेड़छाड़ न हो।
- गांवों को स्पेशल एरिया घोषित किया जाए तथा वाणिज्यिक अधिसूचित सड़कों (commercial roads) पर रूपान्तरण शुल्क (Conversion Charge) न लगाया जाए तथा कर्नाट प्लेस एवं पुरानी दिल्ली क्षेत्रों की तरह विकास के लिए धन अनुदान का प्रावधान हो।
- मलजल प्रणाली (Sewerage), पार्को, मदर डेयरी तथा औषधालयों जैसी बुनियादी सुविधाएं ग्रामीणों को भी दी जाए।
- संसद भूमि अधिग्रहण अधिनियम बिल पर विचार कर रही है। अन्य राज्यों की तरह दिल्ली सरकार भी भूमि अधिग्रहण नीति की घोषणा करे।
- डीडीए की भूमि को निम्न कर किसान कोपरेटिक्स द्वारा आवास एवं अन्य निर्माण की नीति बनाई जाए।
- पूर्व में दिल्ली के किसान, भूमिहीनों एवं पिछड़ी जाति के लोगों पर भूमि अधिग्रहण का दुष्प्रभाव हुआ है। उनके पुर्नवास की योजना घोषित की जाए तथा अधिकृत भूमि के लिए वार्षिक भाड़ा दिया जाए।
- दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम 1954 को तत्काल रद्द कर नई नीति लागू की जाए किसानों को भूमि का मालिकाना हक तथा गांव को उसकी सम्मिलित भूमि (ग्राम सभा) लौटाई जाए।

- जवाहर लाल नेहरू विकास योजना में हर गांव के विकास का प्रावधान हो और बनाए जा रहे फलैटों में दिल्ली के गांवों के पिछड़ी जाति के लोगों को फलैट दिए जाएं।



कर्नल देवेन्द्र सहरावत
दिल्ली ग्रामीण समाज